न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच.गौरी आर.ए.एस
अपील संख्या 47/2019 एल आर एक्ट (GCMS No 2019/ 00057)
अनवान गंगूसिह बनाम अनोपसिह, वगैरह
अपील विरूद्व आदेश– जिला कलक्टर चूरू दिनांक 08.07.2010

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज	नम्बर व तारीख अहकाल जो इस हुक्म की तामील में जारी हुऐ
26.07.2022	पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.07.2010 के विरूद्व भू प्रबन्धक अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कैम्प चूरू के समक्ष प्रस्तुत की गई। राजस्व अपील अधिकारी चूरू ने राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रप–6) विभाग की जारी अधिसूचना नं. 1 (17) राजस्व–6/2019/112 दिनांक 17.10.2019 के परिपेक्ष में इस न्यायालय को हस्तान्तरित की गई। प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट एवं उसके अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित नही होने पर इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के निमित नोटिस जारी किये गये। अपीलान्ट के निमित जारी नोटिस पर अपीलान्ट का फौत होने की रिर्पोट होकर प्राप्त हुआ है तथा फौत होने पर नोटिस की प्रति उसके पुत्र के घर पर चस्पा की है। इस प्रकार अपील में अपीलान्ट के अभिभाषक द्वारा उपस्थित नही होने तथा अपीलान्ट का फौत होने पर उनके वारिसानो द्वारा भी उपस्थित नही होने पर आवाज लगवाई गई, बावजूद आवाज के उपस्थित नही होने पर पत्रावली अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अति. संभागीय आयुक्त बीकानेर	अधीनस्थ का रिकॉर्ड भेजा 515-516/04.08.22